**भारत सरकार**

**विदेश मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं.1130**

**20.12.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**पासपोर्ट सेवा परियोजना**

**1130. डा. प्रकाश बांडा:**

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्‍या सरकार सभी भारतीय मिशनों में पासपोर्ट सेवा परियोजना को आरंभ करने का विचार रखती है;

(ख) क्‍या सरकार ने भारतीय मिशनों को विदेश में रह रहे नागरिकों को 48 घंटे से कम समय में पासपोर्ट जारी करने का निदेश दिया है;

(ग) क्‍या भारतीय मिशनों को देश में स्‍थित आंकड़ा केंद्र के साथ डिजिटल रूप से जोड़ दिया गया है ताकि पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके;

(घ) क्‍या सरकार पासपोर्ट आवेदकों तथा जानकारी को डिजिटल रूप से सत्‍यापित करने हेतु नियमों एवं विनियमों को सरलीकृत बनाने का विचार रखती है;

(ड.) क्‍या सरकार सभी प्रकार की सुरक्षा विशेषताओं तथा बेहतर मुद्रण तथा कागज की गुणवत्ता के साथ पासपोर्ट के एक नए सेट को जारी करने का विचार रखती है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**विदेश राज्य मंत्री**

**[जनरल(डा.) वी.के. सिंह (सेवानिवृत्त)]**

(क) से (ग) जी, हां। मंत्रालय विदेश स्थित सभी मिशनों को पासपोर्ट सेवा परियोजना में संबद्ध व एकीकृत करना चाहता है। यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों को इसमें शामिल किया जा चुका है।

वैधानिक प्रावधानों के अनुसार, आवेदन की प्राप्ति पर, पासपोर्ट जारीकर्ता प्राधिकारी (पीआईए), ऐसी पूछताछ करने के बाद जिसे वह आवश्यक समझता हो, पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी करेगा। 'तत्काल' आधार पर नए पासपोर्ट और ऐसे पासपोर्ट जिन्हें विदेशों में स्थित राजदूतावासों और वाणिज्य दूतावासों में पासपोर्ट जारीकर्ता प्राधिकारियों द्वारा पुनः जारी किया जाना है, और ऐसे सभी मामलों में जिनमें पुलिस सत्यापन की आवश्यकता नहीं है, सात कार्यदिवस के भीतर जारी किया जाना होगा।

(घ) पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित, उदार और आसान बनाने के लिए विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नीति में कई उपायों की घोषणा की है, जिनसे पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले भारत के नागरिकों को लाभ पहुंचने की उम्मीद है। इन उपायों का विवरण **अनुबंध -1** में देखा जा सकता है ।

(ङ) और (च) जी हां, मंत्रालय ने नागरिकों को उन्नत सुरक्षा सुविधाओं और बेहतर मुद्रण और कागज की गुणवत्ता वाले चिप समर्थित ई-पासपोर्ट जारी करने की योजना बनाई है। सरकार ने भारत प्रतिभूति मुद्रणालय (आईएसपी), नासिक को ई-पासपोर्ट के निर्माण के लिए इलेक्ट्रॉनिक संपर्क रहित इनले की खरीद के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। इस संबंध में, आईएसपी, नासिक को ई-पासपोर्ट के निर्माण के लिए आवश्यक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ) समर्थित इलेक्ट्रॉनिक संपर्क रहित इनले की खरीद के लिए वैश्विक तीन-स्तरीय निविदा जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है।आईएसपी, नासिक द्वारा निविदा और खरीद प्रक्रिया के सफलतापूर्वक पूरा होने पर उन्नत सुरक्षा सुविधाओं और बेहतर प्रिंटिंग और पेपर गुणवत्ता वाले ई-पासपोर्ट का निर्माण शुरू होगा।

आवेदकों के व्यक्तिगत विवरण चिप में डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित और संग्रहीत किए जाएंगे। यदि कोई चिप के साथ छेड़छाड़ करता है, तो सिस्टम इसे पहचान सकेगा और उसके परिणामस्वरूप पासपोर्ट प्रमाणीकरण विफल हो जाएगा। सूचना इस तरह संरक्षित होगी कि पासपोर्ट के वास्तविक रूप से पास न होने पर चिप को नहीं पढ़ा जा सकेगा।

\*\*\*\*\*

**अनुबंध-I**

**पासपोर्ट नियमों का सरलीकरण**

पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को सरल, उदार और आसान बनाने के उद्देश्य से विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नीति के क्षेत्र में कई कदम उठाए हैं। उठाए गए इन कदमों का ब्योरा नीचे दिया गया हैः

(क) **जन्म तिथि के प्रमाण के समर्थन में दस्तावेज़**

पासपोर्ट नियमावली, 1980 के मौजूदा सांविधिक प्रावधानों के अनुसार, पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए 26.01.1989 को अथवा उसके बाद जन्मे सभी आवेदकों को अब तक अनिवार्यतः जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में जन्म प्रमाण-पत्र जमा करना पड़ता था। अब यह निर्णय लिया गया है कि पासपोर्ट प्राप्त करने वाले सभी आवेदक पासपोर्ट आवेदन जमा करते समय जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज जमा कर सकते हैं:

1. भारत में जन्मे किसी बच्चे के जन्म को पंजीकृत करने हेतु जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रार अथवा नगर निगम अथवा जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत अधिकार प्राप्त किसी अन्य निर्धारित प्राधिकरण द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र (बीसी);
2. अंतिम स्कूल/मान्यता प्राप्त शैक्षणिक बोर्ड द्वारा जारी स्थानांतरण/स्कूल परित्याग/मेट्रीकुलेशन प्रमाण-पत्र जिस पर आवेदक की जन्मतिथि अंकित हो;
3. आयकर विभाग द्वारा जारी पैनकार्ड जिस पर आवेदक की जन्मतिथि अंकित हो;
4. आधार कार्ड/ई-आधार जिस पर आवेदक की जन्मतिथि अंकित हो;
5. आवेदक के सर्विस रिकार्ड (केवल सरकारी कर्मचारियों के संबंध में) अथवा पे पेंशन आर्डर (सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के संबंध में) के कुछ हिस्से की प्रति जिसे आवेदक के संबंधित मंत्रालय/विभाग के प्रशासन के अधिकारी/प्रभारी द्वारा विधिवत अभिप्रमाणित/प्रमाणित किया गया हो तथा जिस पर आवेदक की जन्मतिथि अंकित हो;
6. संबंधित राज्य सरकार के परिवहन विभाग द्वारा जारी ड्राइविंग लाईसेंस जिस पर आवेदक की जन्मतिथि अंकित हो;
7. भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी चुनाव फोटो पहचान-पत्र (ईपीआईसी) जिस पर आवेदक की जन्मतिथि अंकित हो;
8. सार्वजनिक जीवन बीमा कॉरपोरेशन/कंपनियों द्वारा जारी पॉलिसी बॉड जिस पर बीमा पॉलिसीधारक की जन्मतिथि अंकित हो;

ख. **अन्य फेरबदल:**

1. अब से ऑनलाइन पासपोर्ट आवेदन पर आवेदक द्वारा केवल पिता अथवा माता अथवा कानूनी अभिभावक का नाम लिखना अपेक्षित है अर्थात केवल माता या पिता न कि दोनों का नाम लिखना। इससे एकल माता-पिता के लिए अपने बच्चों हेतु पासपोर्ट के लिए आवेदन करना संभव हो सकेगा और साथ ही ऐसे पासपोर्ट भी जारी करना संभव हो सकेगा जहां आवेदक के अनुरोध पर या तो पिता अथवा माता का नाम लिखना अपेक्षित नहीं है।
2. पासपोर्ट नियमावली, 1980 में कुल निर्धारित अनुबंधों की संख्या को 15 से कम करके 9 कर दिया गया है। अनुबंध क, ग, घ, ड., ञ, तथा ट को हटा दिया गया है और कुछ अनुबंधों का विलय कर दिया गया है।
3. आवेदकों द्वारा अपेक्षित सभी अनुबंध सादे कागज पर स्वघोषणा के रूप में देना आपेक्षित होगा। अब से किसी भी नोटरी/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/प्रथम श्रेणी के न्यायायिक मजिस्ट्रेट द्वारा साक्ष्यांकन/ उनके समक्ष शपथ लेना अपेक्षित नहीं होगा।
4. विवाहित आवेदकों को पुराना अनुबंध ट अथवा कोई विवाह प्रमाण-पत्र देना आवश्यक नहीं होगा।
5. अलग हुए अथवा तलाकशुदा व्यक्तियों के मामले में पासपोर्ट आवेदन फार्म पर पति/पत्नी के नाम का उल्लेख करना आपेक्षित नहीं होगा। ऐसे आवेदकों को पासपोर्ट के लिए तलाक आदेश प्रस्तुत करना भी आपेक्षित नहीं होगा।
6. विवाहेतर जन्मे बच्चों के मामले में, आवेदक को ऐसे बच्चों के पासपोर्ट प्राप्त करने हेतु, पासपोर्ट आवेदन करते समय केवल वर्तमान अनुबंध ग प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
7. देश में घरेलू स्तर पर गोद लिए गए बच्चों के लिए पासपोर्ट जारी करने के मामले में गोद लेने संबंधी पंजीकृत विलेख प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार के विलेख न होने की स्थिति में पासपोर्ट आवेदक गोद लेने की पुष्टि करने के बाबत सादे कागज पर स्वघोषणा प्रस्तुत कर सकता है।
8. सरकारी कर्मचारी जो अपने संबंधित नियोक्ता से पहचान प्रमाण-पत्र (वर्तमान अनुबंध क)/अनापत्ति प्रमाण-पत्र (वर्तमान अनुबंध छ) नहीं प्राप्त कर सका हो और वे तत्काल आधार पर पासपोर्ट प्राप्त करना चाहते हों, तो अब वर्तमान अनुबंध-एच में इस बाबत एक स्वघोषणा प्रस्तुत करते हुए पासपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं और इस बात का उल्लेख कर सकते हैं कि उन्होंने अपने नियोक्ता को इस बाबत पूर्व सूचना दे दी है कि वह पासपोर्ट जारीकर्ता प्राधिकारी को सामान्य पासपोर्ट के लिए आवेदन कर रहा है।
9. साधु/संन्यासी पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं और उन्हें अपने माता-पिता के नाम के स्थान पर अपने आध्यात्मिक गुरु का नाम लिखना होगा, बशर्ते भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी चुनाव फोटो पहचानपत्र, पैनकार्ड, आधार कार्ड आदि जैसे कम-से-कम एक सार्वजनिक दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए जिनमें उनके माता-पिता के नाम के स्थान पर उनके गुरु का नाम दर्ज हो।
10. अनाथ बच्चे जिनके पास जन्मतिथि का कोई सबूत न हो जैसे जन्म प्रमाण-पत्र अथवा मेट्रीकुलेशन प्रमाण-पत्र अथवा घोषणात्मक न्यायालय आदेश न हो, वे उस अनाथालय/शिशु देखभाल केंद्र के प्रमुख द्वारा संगठन के शासकीय लेटर हेड पर आवेदक की जन्मतिथि की पुष्टि कराके घोषणा संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं।
11. पासपोर्ट के लिए आवेदन कर रहे आवेदक को पासपोर्ट आवेदन जमा कराते समय जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में उपर्युक्त (क) में उल्लिखित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज़ जमा कराना होगा। दस्तावेज में उल्लिखित जन्मतिथि पासपोर्ट में दर्ज हो जाएगी। यदि पासपोर्ट में पूर्व में दर्ज जन्मतिथि और आवेदक द्वारा जन्मतिथि के नए प्रमाण में भिन्नता होती है तो पासपोर्ट जारीकर्ता प्राधिकारी (पीआईए) दावे की सत्यता सिद्ध करने के लिए जन्मतिथि में परिवर्तन की मांग कर रहे प्रत्येक आवेदक (चाहे पासपोर्ट जारी होने की अवधि कितनी भी हो गई हो) के स्पष्टीकरण पर विचार करने के लिए प्राधिकृत है और यदि पीआईए आवेदक के दावे तथा उस दावे के समर्थन में जमा किए गए दस्तावेजों से संतुष्ट होता है तो पीआईए आवेदक द्वारा संशोधित जन्मतिथि के साथ पासपोर्ट जारी करने के ऐसे सभी अनुरोध को स्वीकार कर सकता है।
12. अब किसी राजपत्रित अधिकारी से सत्यापन प्रमाण-पत्र प्रदान कराए बिना भी 'तत्काल' योजना के तहत पासपोर्ट प्राप्त किए जा सकते हैं जिसकी आवश्यकता पूर्व में होती थी। इस योजना के तहत पासपोर्ट प्राप्त करने हेतु जमा कराए जाने वाले दस्तावेजों को जी.एस.आर 39 (ई) दिनांक 18 जनवरी, 2018 और 17 अप्रैल, 2018 के समसंख्यक का.ज्ञा. के साथ पठित दिनांक 23 मार्च, 2018 के का.ज्ञा. संख्या VI/401/1/4/2013 के तहत अधिसूचित किया गया है। आवेदक पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ों में से कम से कम तीन दस्तावेज़ प्रस्तुत कर सकते हैं:
13. आधार कार्ड/ई-आधार जिसमें 12 अंकों वाली आधार संख्या हो/ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथोरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) द्वारा जारी आधार नामांकन पर्ची जिस पर 28 अंकों वाली आधार नामांकन आईडी छपी हो।
14. मतदाता फोटो पहचान कार्ड (ईपीआईसी)
15. राज्य अथवा केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी सेवा फोटो पहचान पत्र
16. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र
17. शस्त्र लाइसेंस
18. पेंशन दस्तावेज़ जैसे भूतपूर्व सैनिक पेंशन पुस्तिका अथवा पेंशन भुगतान आदेश, भूतपूर्व सैनिक की विधवा अथवा आश्रित प्रमाणपत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश
19. अपना पासपोर्ट (रद्द न किया हुआ तथा जो क्षतिग्रस्त न हो)
20. स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड
21. बैंक/किसान/डाकघर पासबुक
22. किसी शैक्षिक संस्थान द्वारा जारी छात्र फोटो पहचानपत्र
23. ड्राइविंग लाइसेंस (वैध तथा जो उस राज्य के क्षेत्राधिकार में हो जहाँ आवेदक ने आवेदन जमा कराया है);
24. जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण अधिनियम के तहत जारी जन्म प्रमाणपत्र; और
25. राशन कार्ड
26. अब पैरा-xii में उल्लिखित तीन दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करने पर बिना कोई अतिरिक्त शुल्क का भुगतान किए सामान्य योजना के तहत बिना बारी के पश्च पुलिस सत्यापन आधार पर भी पासपोर्ट प्राप्त किए जा सकते हैं।

\*\*\*\*\*